

# अंचल अधिकारी का कार्यालय महागामा।

आदेश फलक

राजस्व विविध वाद (दखल दिहानी) अभिलेख सं०- 02/2022-23  
मो० मंजू देवी वगैरह बनाम् बिहारी कुँवर वगैरह

मौजा-मधुचक  
थाना नं०-772

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अनुपालन
23.08.2022	<p>अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के आर०ई०आर० केश नं०-50/16-17 मो० मंजू देवी बनाम् मोती कुँवर में दिनांक 25.05.2018 को पारित आदेश संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा मधुचक नं०-772 के जमाबंदी नं०-17 के दाग नं०-65 के कुल रकवा 00-06-00 धूर जमीन में से 40फीटX20फीट कुल 800 वर्ग फीट की भूमि को छोड़कर शेष भूमि से विपक्षी मोती कुँवर पिता-रतन कुँवर को उच्छेद किया गया है। साथ ही उपायुक्त, गोड्डा का न्यायालय आर०एम०ए० केस नं०-13/18-19 बिहारी कुँवर वगै० बनाम् मो० मंजू वगै० में दिनांक 19.01.2022 को पारित आदेश में भी अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में उक्त पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील को खारिज किया गया है।</p> <p>अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक-1273/सा० दिनांक 02.08.2022 द्वारा उक्त आदेश में पारित आदेश के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है। साथ ही आवेदिका मो० मंजू देवी के द्वारा भी अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।</p> <p>अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के आर०ई०आर० केश नं०-50/16-17 मो० मंजू देवी बनाम् मोती कुँवर में दिनांक 25.05.2018 को पारित आदेश आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 14.09.2022 को रखें।</p> <p>लेखापित 23/08/2022 अंचल अधिकारी</p> <p>23/08/2022 अंचल अधिकारी महागामा।</p>	
03.11.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अप्राप्त। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पत्रांक-1366/सा० दिनांक 10.08.2022 प्राप्त हुआ है, जिसमें आर०एम०ए० केश नं०-13/18-19 में पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है। पुनः राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p>लेखापित 03/11/2022 अंचल अधिकारी</p> <p>03/11/2022 अंचल अधिकारी महागामा।</p>	

29-11-2022

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केस सं0-50/16-17 मो0 मंजू देवी बनाम् मोती कुवंर में अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा द्वारा दिनांक 25.05.2018 को पारित आदेश के तहत मौजा मधुचक नं0-772 के जमाबंदी नं0-17 के दाग नं0-65 के कुल रकवा 00-06-00 धूर जमीन में से 40फीटX20फीट कुल 800 वर्ग फीट की भूमि को छोड़कर शेष भूमि से विपक्षी को संचाल परगना कास्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया गया है एवं जमाबंदी रैयत के वंशजों को दखल दिलाने का आदेश पारित है।

उक्त पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत भूमि को दिनांक 07.12.2022 तक खाली करने हेतु 1.बिहारी कुवंर वो मुरारी कुवंर वो बासुदेव कुवंर वो सहदेव कुवंर पिता-पुदरी कुवंर 2. खैरानन्द कुवंर पिता-स्व0 कुगरू कुवंर सा0-मधुचक को नोटिस निर्गत करें।

लेखापित  
29/11/2022  
अंचल अधिकारी

29/11/2022  
अंचल अधिकारी  
महागामा।

22-12-2022

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। निर्धारित तिथि तक विपक्षीगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि को खाली नहीं किया गया है। विपक्षी बिहारी कुवंर द्वारा दिनांक 10.12.2022 को आवेदन के साथ आयुक्त, संचाल परगना, दुमका के न्यायालय के आर0एम0आर0 नं0-161/2021-22 में दिनांक 24.02.2022 को पारित आदेश की छायाप्रति एवं उक्त न्यायालय में समर्पित आवेदन की छायाप्रति समर्पित किया गया है। उक्त न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि को खाली कराने हेतु दिनांक 04.01.2023 को दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल/महिला बल की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा को पत्र भेजें।

लेखापित  
22/12/2022  
अंचल अधिकारी

22/12/2022  
अंचल अधिकारी  
महागामा।

10.02.2023

अभिलेख उपस्थापित। अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा के ज्ञापांक-262/सा0, दिनांक 08.02.2023 के द्वारा दिनांक 11.02.2023 को प्रश्नगत भूमि की दखल दिहानी हेतु आदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में श्री नारायण ठाकुर, अंचल अमीन के आकस्मिक अवकाश में रहने के कारण अंचल अधिकारी, मेहरमा को उनके कार्यालय में पदस्थापित अंचल अमीन की प्रतिनियुक्ति उक्त कार्य के लिए करने हेतु पत्र निर्गत करें। साथ ही संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक को निर्धारित तिथि को स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निदेशित करें।

लेखापित  
10/02/2023  
अंचल अधिकारी

10/02/2023  
अंचल अधिकारी  
महागामा।

13.02.2023

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 11.02.2023 को प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी, श्री सुश्रुत आनंद, कनीय अभियंता, मनरेगा, प्रखंड महागामा, प्रभारी अंचल निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में ब-अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0-50/2016-17 मो0 मंजू देवी बनाम् मोती कुवैर एवं उपायुक्त के न्यायालय, गोड्डा के आर0एम0ए0 नं0-13/2018-19 बिहारी कुवैर वगैरह बनाम् मो0 मंजू देवी वगैरह में पारित आदेश तथा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश ज्ञापांक-262/सा0 दिनांक 08.02.2023 के आलोक में दिनांक 11.02.2023 को मौजा-मधुचक, थाना नं0-772, जमाबंदी नं0-17, दाग सं0-65 के अंतर्गत 00-04-03 धूर जमीन पर मो0 मंजू देवी वगैरह पिता स्व0 मुरलीधर तिवारी को दखल दिहानी दिया गया एवं 800 वर्गफीट भूमि स्व0 रतन कुवैर के वंशज को दिया गया।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित  
13/02/2023  
अंचल अधिकारी

13/02/2023  
अंचल अधिकारी  
महागामा।